

1

झारखण्ड विनियोग(संख्या-04)विधेयक, 2011

(सभा द्वारा यथापारित)

विषय सूची

धराएँ ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. 2011-12 वर्ष के लिये झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 1189,24,52,000 (एक हजार एक सौ नवासी करोड़ चौबीस लाख बावन हजार) रुपये की निकासी ।
3. विनियोग-।
अनुसूची ।

झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2011 (सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त विधेयक ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -(i) यह अधिनियम झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा ।
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा ।
(iii) यह 1 अप्रैल, 2011 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. 2011-12 वर्ष के लिए झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 1189,24,52,000 (एक हजार एक सौ नवासी करोड़ चौबीस लाख बावन हजार) रूपये की निकासी 1- झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के बारे में, 1 अप्रैल, 2011 को शुरू होनेवाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 1189,24,52,000 (एक हजार एक सौ नवासी करोड़ चौबीस लाख बावन हजार) रूपये की, जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अधिक न होंगे, निकासी की जा सकेगी ।

3. विनियोग 1- इस अधिनियम के द्वारा झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियाँ 1 अप्रैल, 2011 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष से 31 मार्च, 2012 तक संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके सम्बन्ध में विनियोजित की जायेंगी ।

अनुसूची / Schedule

(धाराएं 2 और 3 देखें / See Article 2 & 3)

मौज/ विनियोग Demand/ Appropriation	सेवा से संबंधित नाम या विनियोग / Services of Demand or Appropriation	राजस्व/कैपि Revenue/ Capital	अनाधिक राशियाँ / Amount not to exceed		
			प्राखण्ड विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान / Grants approved by the Jharkhand Assembly	राज्य की संश्लिषि विधि पर प्रभृत / Charged on the State Consolidated Fund	योग / Total
			मतदेव / Voted	प्रभृत / Charged	
1	2	3	4	5	6
1	कृषि एवं शर्करा विकास विभाग Agriculture and Sugarcane Development Department	राजस्व/Revenue	81900000	----	81900000
		कैपि/Capital	----	----	
2	पशुपालन विभाग Animal Husbandry Department	राजस्व/Revenue	58033000	----	58033000
		कैपि/Capital	----	----	
3	भवन निर्माण विभाग Building Construction Department	राजस्व/Revenue	93868000	----	93868000
		कैपि/Capital	----	----	
4	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग Cabinet Secretariat and Coordination Department	राजस्व/Revenue	52958000	----	52958000
		कैपि/Capital	----	----	
6	निर्वाचन Election	राजस्व/Revenue	84905000	----	84905000
		कैपि/Capital	----	----	
7	निगरानी Vigilance	राजस्व/Revenue	830000	----	830000
		कैपि/Capital	----	----	
9	सहकारिता विभाग Co-operative Department	राजस्व/Revenue	97638000	----	458041000
		कैपि/Capital	360403000	----	
10	ऊर्जा विभाग Energy Department	राजस्व/Revenue	1500000	----	1500000
		कैपि/Capital	----	----	
11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग Excise and Prohibition Department	राजस्व/Revenue	6685000	----	6685000
		कैपि/Capital	----	----	
12	वित्त विभाग Finance Department	राजस्व/Revenue	1000000	----	126000000
		कैपि/Capital	125000000	----	
13	ब्याज संशय Interest Payment	राजस्व/Revenue	----	92467000	92467000
		कैपि/Capital	----	----	
14	ऋण की वापसी / अदायगी Repayment of Loans	राजस्व/Revenue	----	----	162806000
		कैपि/Capital	----	162806000	
16	राष्ट्रीय बचत National Savings	राजस्व/Revenue	1193000	----	1193000
		कैपि/Capital	----	----	
17	वित्त (वणिज्य कर) विभाग Finance (Commercial Tax) Department	राजस्व/Revenue	7370000	----	7370000
		कैपि/Capital	----	----	
18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department	राजस्व/Revenue	2594750000	----	2594750000
		कैपि/Capital	----	----	

अनुसूची / Schedule

(धारा 2 और 3 देखें / See Article 2 & 3)

क्र.सं./ विनियोग Demand/ Appropriation	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग / Services of Demand or Appropriation	राजस्व/पूंजी Revenue/ Capital	अनाधिक राशियाँ / Amount not to exceed		
			प्रारंभिक विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान / Grants approved by the Jharkhand Assembly	राज्य की संघित निधि पर प्रभृत / Charged on the State Consolidated Fund	योग / Total
			मतदायक / Voted	प्रभृत / Charged	
1	2	3	4	5	6
19	वन एवं पर्यावरण विभाग Forest and Environment Department	राजस्व/Revenue	120829000	---	120829000
		पूंजी/Capital	---	---	
21	उच्च शिक्षा Higher Education	राजस्व/Revenue	425777000	---	425777000
		पूंजी/Capital	---	---	
22	गृह विभाग Home Department	राजस्व/Revenue	436396000	---	436406000
		पूंजी/Capital	10000	---	
23	उद्योग विभाग Industries Department	राजस्व/Revenue	415247000	---	415247000
		पूंजी/Capital	---	---	
25	संस्थानिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग Institutional Finance and Programme Implementation Department	राजस्व/Revenue	450000	---	450000
		पूंजी/Capital	---	---	
26	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग Labour, Employment and Training Department	राजस्व/Revenue	182309000	---	182309000
		पूंजी/Capital	---	---	
27	विधि विभाग Law Department	राजस्व/Revenue	257387000	---	257387000
		पूंजी/Capital	---	---	
28	प्रारंभिक न्यायालय High Court of Jharkhand	राजस्व/Revenue	---	14472000	14472000
		पूंजी/Capital	---	---	
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग Minorities Welfare Department	राजस्व/Revenue	255000	---	66255000
		पूंजी/Capital	66000000	---	
32	विधान मंडल Legislature	राजस्व/Revenue	49575000	700000	50275000
		पूंजी/Capital	---	---	
33	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग Personnel and Administrative Reforms Department	राजस्व/Revenue	6620000	---	6620000
		पूंजी/Capital	---	---	
34	प्रारंभिक लोक सेवा आयोग Jharkhand Public Service Commission	राजस्व/Revenue	---	13000000	13000000
		पूंजी/Capital	---	---	
35	योजना एवं विकास विभाग Planning and Development Department	राजस्व/Revenue	2559040000	---	2559040000
		पूंजी/Capital	---	---	
36	पियवत एवं स्वच्छता विभाग Drinking Water and Sanitation Department	राजस्व/Revenue	19000000	---	19000000
		पूंजी/Capital	---	---	

अनुसूची / Schedule

(धाराएं 2 और 3 देखें / See Article 2 & 3)

क्र.सं./ विनियोग Demand/ Appropriation	सेवा से संबंधित धारा या विनियोग / Services of Demand or Appropriation	राजस्व/धुनी Revenue/ Capital	अनाधिक राशिधुनी / Amount not to exceed		योग / Total
			प्रारोक्षण विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान / Grants approved by the Jharkhand Assembly	राज्य की संविधान विधि पर प्रभुत / Charged on the State Consolidated Fund	
			मतदान / Voted	प्रभुत / Charged	
1	2	3	4	5	6
38	निर्वाण विभाग Registration Department	राजस्व/Revenue	25300000	---	25300000
		धुनी/Capital	---	---	
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग Revenue and Land Reforms Department	राजस्व/Revenue	11908000	---	11908000
		धुनी/Capital	---	---	
41	राज निर्माण विभाग Road Construction Department	राजस्व/Revenue	3667000	---	3667000
		धुनी/Capital	---	---	
42	ग्रामीण विकास विभाग Rural Development Department	राजस्व/Revenue	2152000	---	1252152000
		धुनी/Capital	1250000000	---	
43	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग Science and Technology Department	राजस्व/Revenue	38089000	---	38089000
		धुनी/Capital	---	---	
44	माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग Secondary, Primary and Public Education Department	राजस्व/Revenue	131007000	---	131007000
		धुनी/Capital	---	---	
45	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग Information Technology Department	राजस्व/Revenue	43900000	---	43900000
		धुनी/Capital	---	---	
46	पर्यटन विभाग Tourism Department	राजस्व/Revenue	16075000	---	16075000
		धुनी/Capital	---	---	
47	परिवहन विभाग Transport Department	राजस्व/Revenue	900000	---	9700000
		धुनी/Capital	8800000	---	
48	नगर विकास एवं आवास विभाग Urban Development and Housing Department	राजस्व/Revenue	501832000	---	501832000
		धुनी/Capital	---	---	
49	जल संसाधन विभाग Water Resources Department	राजस्व/Revenue	8869000	---	8869000
		धुनी/Capital	---	---	
50	लघु सिंचाई विभाग Minor Irrigation Department	राजस्व/Revenue	1440000	---	1440000
		धुनी/Capital	---	---	
51	कल्याण विभाग Welfare Department	राजस्व/Revenue	1066130000	---	1066130000
		धुनी/Capital	---	---	
52	कला संस्कृति, खेलकूद, एवं युवा कार्य विभाग Art Culture, Sports and Youth Affairs Department	राजस्व/Revenue	74302000	---	74302000
		धुनी/Capital	---	---	

अनुसूची / Schedule

(धाराएं 2 और 3 देखें / See Article 2 & 3)

क्र.सं./ वित्तियोग Demand/ Appropriation	सेवा से संबंधित मांग या वित्तियोग / Services of Demand or Appropriation	राजस्व/पूंजी Revenue/ Capital	अनाधिक राशियाँ / Amount not to exceed		
			पारखण्ड विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान / Grants approved by the Jharkhand Assembly	राज्य की संवित्तित्तियोग पर प्रयुक्त / Charged on the State Consolidated Fund	योग / Total
			मतदाता / Voted	प्रयुक्त / Charged	
1	2	3	4	5	6
55	ग्रामीण कार्य विभाग Rural Works Department	राजस्व/Revenue	300000	----	300000
		पूंजी/Capital	----	----	
56	पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग Panchayat Raj and N.R.E.P. (Special Divisional) Department	राजस्व/Revenue	720000	----	720000
		पूंजी/Capital	----	----	
58	माध्यमिक शिक्षा Secondary Education	राजस्व/Revenue	176683000	----	176683000
		पूंजी/Capital	----	----	
60	समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग Social Welfare, Women and Child Development Department	राजस्व/Revenue	140005000	----	140005000
		पूंजी/Capital	----	----	
योग / Total		राजस्व/Revenue	9798794000	120639000	9919433000
		पूंजी/Capital	1810213000	162806000	1973019000
महायोग / Grand Total			11609007000	283445000	11892452000

7 1

यह विधेयक झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2011 दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 के झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।